बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– 50

दिनांक 8/8/2006

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री
बिहार, पटना।

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना,

आयुक्त एवं सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना,

सचिव,
कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः– श्री अजय कुमार, वि० प्र० से०, अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली, नवादा, के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा के द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महोदय,

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की नवादा इकाई के द्वारा यह सूचना दी गयी है कि श्री अजय कुमार, वि० प्र० से० के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा, श्री पंकज कुमार, भा० प्र० से० के द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर रजौली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

कृ० पृ० ऊ०..

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– दिनांक.................

2. संघ द्वारा इस संबंध में पूर्व में भी सूचना दी गयी है कि गृह विभाग के परिपत्र संख्या–1075 दिनांक– 17.11.86 के आलोक में किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व सरकार की अनुमति आवश्यक है परंतु उक्त परिपत्र के विरूद्ध जिलाधिकारियों के द्वारा वि० प्र० से० के कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दायर करने का सिलसिला जारी है। अब स्थिति यह बनी है कि जिलाधिकारियों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों पर भी मुकदमे दायर किये जा रहे है।

3. नवादा शाखा से यह भी सूचना मिली है कि श्री पंकज कुमार, भा० प्र० से० ने रजौली अनुमंडल पदाधिकारी, श्री अजय कुमार वि० प्र० से० के आवास पर दिनांक 08.06.2006 को जाकर गाली – गलौज किया और उन्हें **''अम्बेदकर की औलाद, दूसरा अम्बेदकर बनता है, साला बर्बाद कर देगें''** आदि आदि विशेषणों से विभूषित किया। अब आप ही इस बात को सोंचे कि जिला पदाधिकारी जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी का व्यवहार इतना घटिया हों, तो आम आदमी से क्या अपेक्षा की जा सकती है। सरकारी नौकरी में किसी भी कनीय अथवा वरीय पदाधिकारी को सेवा संहिता के अंतर्गत गाली गलौज करने अथवा अपशब्द कहने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं का घटना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस पर आप स्वयं विचार कर सकते है।

4. विदित हो कि श्री अजय कुमार वि० प्र० से०, अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली अनुसूचित जाति के पदाधिकारी है और उन्हें ''अम्बेदकर की औलाद'' की उपाधि से विभूषित किया गया, यह कितनी शर्मनाक बात है, यह विचारणीय बिन्दु है। जब श्री कुमार ने इस घटना का विरोध किया तो उनके विरूद्ध अनर्गल आरोप लगाकर बिना सरकार अथवा राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। संघ ने इस घटना को गंभीरता से लिया है

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1
(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक.........................

और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जायेगी इस पर विचार करने हेतु दिनांक 12.08.06 को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलायी गयी है परन्तु इस संवेदनशील सरकार से हम अपेक्षा करते है कि इस बीच इस घटना की विस्तृत जाँच की जाये और जाँच में पाये जानेवाले दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाये।

विश्वासभाजन,

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव वि॰ प्र॰ से॰ संघ, नवादा ईकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, आकाशवाणी / दूर–दर्शन को सूचनार्थ एवं प्रसारनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी / यू॰ एन॰ आई॰ / पी॰ टी॰ आई॰/को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव